कार्यालय नगर पंचायत चितबड़ागाँव-बलिया

पत्रांक -188 /न०प०चि०/2016-17 दिनांक - 16/12/2016

सार्वजनिक सूचना /विज्ञप्ति

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 एवं मा. उच्चन्यायालय लखनऊ द्वारा दिनांक -07.11.2016 को लिये गये स्वत: संज्ञान के सम्बन्ध में दिनांक 08.11.2016 को शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा सिविल मिस रिट याचिका संख्या 26791/2016 में पारित आदेश दिनांक - 08.11.2016 व तत्क्रम में नगर विकास उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक -04.11.2016 ,08.11.2016 एवं 09.11.2016 के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है ,कि म्युनिसिपल सालिड वेस्ट रूल्स एवं एन.जी.टी.एक्ट 2010 के अन्तर्गत शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों के किसी भी स्थान पर कूड़ा जलाने तथा भवन निर्माण के समाग्री के अवशेष को सड़क के किनारे रखे जाने को प्रतिबन्धित किया गया है |उ०प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 3306/पर्या-15-27पर्या /15दिनांक 22.02.2015 द्वारा जनहित में किसी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों की विनिर्माण आयात ,भण्डारण ,विक्रय और ढुलाई को दिनांक -21.01.2016 से प्रतिबंधित कर दिया गया है ,एवं वायु प्रदूषण को रोकने हेतु आदेशित /निर्देशित किया जाता है | मा. न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन करने पर एन.जी.एक्ट 2010 की धरा 15 एवं 16 में किये गये प्राविधानों के अनुसार सड़को के किनारे भवन निर्माण सामग्री के अवशेष को रखे जाने पर रु०-50,000.00 एवं नगरीय ठोस अवशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने एवं जलाये जाने के प्रत्येक घटना के लिये रु०.5,000.00 (पांच हजार) मात्र का आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये है | अतएव उक्त के क्रम से नगर पंचायत चितबड़ागाँव ,बलिया अपनी समस्त सम्मानित जनता से अपील करती है |कि भवन निर्माण सामग्री के अवशेष को किसी भी दशा में सड़को पर एकत्रित न करें तथा अपने घरो /दुकानों आदि के कूड़े कूड़ेदान में ही डाले कूड़े को सड़क पर किसी भी दशा में न फेके |कुंडे में आग लगाना पूर्णतया प्रतिबंधित है |एवं प्लास्टिक की प्रतिबंधित थैलियों /सामग्रियों का बहिष्कार करें निर्धारित स्थलों पर ही कूड़ा डाले निर्धारित स्थल पर कूड़ा न डालने पर भी रु० -5,000.00 का जुर्माना है |यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो नगर पंचायत द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916/एन.जी.टी.एक्ट 2010 के प्राविधानो के अनुसार अर्थ दण्ड /जुर्माना /चालान आदि की कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा |

गनेश राम (ह०)	(ह०)	(ह०)
सफाई नायक	अधिशाषी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पंचायत चितबड़ागाँव,बलिया	नगर पंचायत चितबड़ागाँव,बलिया	नगर पंचायत चितबड़ागाँव,बलिया

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

1. जिलाधिकारी महोदय /प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय बलिया एवं उपजिलाधिकारी महोदय बलिया|
2. प्रभारी अधिकारी , महोदय एन. आई.सी. बलिया को इस आशय से प्रेषित कि अपनी वेबसाइट पर विज्ञापित करने का कष्ट करे|
3. अवर अभियन्ता ,स्थानीय निकाय बलिया |
4. सूचना पट्ट पर चस्पा एवं सम्बन्धित पत्रावली हेतु |
5. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान वाराणसी को अगामी अंक में प्रकाशित कर समाचार पत्र की 5 प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना चाहे |

(ह०)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत चितबड़ागाँव ,बलिया